

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक/ 84 /स्थापना-सेवा/2015 राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार कॉलम नंबर 3 के उप पंजीयक कार्यालयों में पदस्थ पंजीयन लिपिकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम नंबर 4 के उप पंजीयक कार्यालय में रिक्त उप पंजीयक के पद का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाकर प्रभार वाले उप पंजीयक कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है।

स.क्र.	पंजीयन लिपिक का नाम	वर्तमान पदस्थापना का उप पंजीयक कार्यालय	उप पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयक के पद के प्रभार की नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री कार्नेलियस तिग्गा	श्योपुर	विजयपुर, जिला श्योपुर
2	श्री सीताशरण शुक्ला	देपालपुर, जिला इंदौर	पंधाना, जिला खण्डवा
3	श्री रमेश मोंगरे	महू, जिला इंदौर	गरोठ, जिला मंदसौर
4	श्री बापूसिंह चौहान	पेटलावाद, जिला झाबुआ	करही, जिला खरगौन

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा,

निरंतर.....2

//2//

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक क्र० 273 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन ग्वालियर/इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश